न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 54/2008

अपीलाण्ट्स

1. गमनाराम पुत्र नेमाराम
2. पेमाराम पुत्र नेमाराम
3. ताराचन्द पुत्र नेमाराम
4. मूलाराम पुत्र नेमाराम जातिगण घांची निवासीगण बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. स्व0 धना पुत्र वनाजी जाति घांची के का0मु0

1/1 भभुताराम पुत्र धनाजी जाति घांची निवासी बिसलपुर तहसील बाली

1/1/1 अचलाराम पुत्र भभुताराम

1/1/2 हीरालाल पुत्र भभुताराम

1/1/3 मोहनलाल पुत्र भभुताराम

1/1/4 हंजा पत्नी भभुताराम

1/1/5 भीखी पुत्री भभुताराम जाति घांची निवासी बिसलपुर तहसील बाली

2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बाली

राजस्व अपील संख्या 55/2008

अपीलाण्ट्स

1. गमनाराम पुत्र नेमाराम
2. पेमाराम पुत्र नेमाराम
3. ताराचन्द पुत्र नेमाराम
4. मूलाराम पुत्र नेमाराम जातिगण घांची निवासीगण बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. कपूराराम पुत्र चेलाराम
2. पन्नाराम पुत्र चेलाराम के का0मु

2.1 चम्पा पत्नी पन्नाराम

2.2 सकाराम पुत्र पनाराम

2.3 पारसमल पुत्र पनाराम

2.4 कैलाश पुत्र पनाराम

2.5 सोहनलाल पुत्र पनाराम

2.6 शांतिलाल पुत्र पनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता चम्पा पत्नी पनाराम जातिगण घांची निवासीगण बिसलपुर तहसील बाली

3. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदर बाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 22/10/18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 31/2007 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2008 एवं प्रकरण संख्या 32/2007 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2008 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। दोनों ही प्रकरण एक ही आराजी से सम्बन्धित होने से प्रकरणों का समग्र रूप से निस्तारण किया जा रहा है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई व्यादेश का पेश किया, जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बिसलपुर के पुराने खसरा नम्बर 190 में से 30 बीघा भूमि धना पुत्र वना की खरीदसुदा भूमि है, जिससे हाल खसरा नम्बर 306 रकबा 3.40 हैक्टेयर तथा 339/2383 रकबा 1.41 हैक्टेयर बने है। खसरा नम्बर 306 तो रेस्स्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया गया है, किन्तु खसरा नम्बर 339/2383 को रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज नहीं किया जाना बताते हुए अपीलाण्ट को उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी से रोकन का निवेदन किया। इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 190 की भूमि में से 65 बीघा 10 बिस्वा की भूमि चेलाराम पुत्र दानाराम की खरीदसुदा होना बताया, जिसके हाल खसरा नम्बर 295, 296, 297, 299 कुल 5.04 हैक्टेयर की भूमि पर चेलाराम का नाम दर्ज किया तथा इसके अन्य खसरा नम्बर 329 रकबा 2.07 की भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज किया जाना बताते हुए खसरा नम्बर 329 की भूमि में रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी से रोकने हेतु अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये सम्मन तलब किया, जिस पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट की पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है, जिस पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड का परीक्षण किए बिना ही एवं दस्तावेजात् को अवलोकन किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है।

रेस्पोडेन्ट का दावा खसरा नम्बर 190 का है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो स्थगन आदेश पारित किया है, वह खसरा नम्बर 339/2383 व 329 का दिया है, जो विधि विरूद्ध है। यह भूमि अपीलाण्ट की पुश्तैनी भूमि है, जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। इस बाबत अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन दस्तावेजात् को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की गई है। दौराने भू–प्रबन्ध उक्त खरीदसुदा भूमि का कुछ भाग तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया एवं शेष भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दी, जिसे दुरूस्त कराते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष र्प्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है, जिससे यह साबित होता है कि गत खसरा नम्बर 190 के हाल खसरा नम्बर 306 रकबा 3.40 हैक्टेयर तथा 339/2383 रकबा 1.41 हैक्टेयर बने है। खसरा नम्बर 306 तो रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया, किन्तु खसरा नम्बर 339/2383 बिना किसी आधार पर अपीलाण्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया। इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 190 के हाल खसरा नम्बर 295, 296, 297, 299 कुल 5.04 हैक्टेयर की भूमि पर चेलाराम का नाम दर्ज किया तथा इसके अन्य खसरा नम्बर 329 रकबा 2.07 की भूमि अपीलाण्ट के नाम बिना किसी आधार के दर्ज कर दी गई। इस बाबत रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए है, जिनका कोई खण्डन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रमाणित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम बिसलपुर के गत खसरा नम्बर 190 में से 30 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट धना द्वारा क्रय की गई थी। इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 190 में से 65 बीघा 10 बिस्वा भूमि चेलाराम पुत्र दानाराम द्वारा क्रय की गई थी। ग्राम बिसलपुर के गत खसरा नम्बर 190 से हाल खसरा नम्बर 339/2383 व 329 बनना प्रमाणित तथ्य है। उक्त भूमि किस आधार पर अपीलाण्ट के नाम दर्ज हुई ? यह साक्ष्यों के आधार पर जांच का विषय है, जो मूल वाद में साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात ही सम्भव होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों आज्ञापक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दोनों ही अपीलें सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 31/2007 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2008 एवं प्रकरण संख्या 32/2007 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2008 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की पृथक पृथक प्रति संबंधित पत्रावली के नत्थी हो। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली